भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3405

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

झारखंड में सुवर्णरेखा परियोजना हेतु केन्द्रीय अनुदान

3405. श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने पीएमकेएसवाई-एआईबीपी योजना के अंतर्गत शामिल सुवर्णरेखा परियोजना के लिए एफटीपीसी के अंतर्गत वर्ष 2019 में 14,959.74 करोड़ रुपए की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत झारखंड की जीवन रेखा समझी जाने वाली सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के लिए वर्ष 2021-22 हेतु केन्द्रीय अनुदान के रूप में 616.95 करोड़ रुपए जारी किए जाने थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2021-22 के लिए केन्द्रीय अनुदान जारी करने हेतु निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बावजूद 616.95 करोड़ रुपए की राशि आज तक जारी नहीं की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का सुवर्णरेखा परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित 616.95 करोड़ रुपए की केन्द्रीय अनुदान राशि जारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केंद्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 2019 में 9,579.58 करोड़ रुपये की झारखंड विशिष्ट एआईबीपी लागत के साथ 13,106.24 करोड़ रुपये (वर्ष 2017 का मूल्य स्तर) सुवर्णरेखा परियोजना को फास्ट ट्रैक प्रोफार्मा क्लियरेंस (एफ़टीपीसी) के तहत अनुमोदन प्रदान किया गया था।

(ख) और (ग): पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत दिनांक 01.04.2016 की स्थितिनुसार सुवर्णरेखा परियोजना के लिए 1,373.69 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता अनुग्राह्य थी और वित्तीय वर्ष 2018-19 तक 756.73 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई अतः इस परियोजना के लिए अभी 616.96 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता राशि दी जानी शेष है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्रीय जल आयोग को प्राप्त प्रस्ताव जनवरी 2022 में, झारखंड सरकार को इस टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया कि जारी की गई केन्द्रीय सहायता राशि के तद्नुरुप किया गया व्यय कम था और इसलिए आगे की केन्द्रीय सहायता दिए जाने की दृष्टि से यह परियोजना अपात्र हो गई थी।

(घ): झारखंड द्वारा तद्नुरूपी व्यय किए जाने के बाद आने वाले समय में सुवर्णरेखा परियोजना के लिए राज्य को केंद्रीय सहायता जारी की जा सकती है।

*****